

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/18086-91

दिनांक :- 18.11.2015

**आदेश संख्या: 131 / 2015-16**

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थायी पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे-बैंड 9300-34800 में मूल वेतन 12900 (9300 + 3600 ग्रेड पे) एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

| क्र. सं. | लिन नं० | मेरिट नं० | बैच  | नाम कनिष्ठ लेखाकार      | जन्म तिथि | कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि | परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि | स्थाई करण तिथि |
|----------|---------|-----------|------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1        | 2       | 3         | 4    | 5                       | 6         | 7                                     | 8                               | 9              |
| 1        | 9719    | 60        | 2011 | श्री अरविंद कुमार शर्मा | 15.09.78  | 01.10.13                              | 30.09.15                        | 01.10.15       |

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03 (IV) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के निर्णय के अधधीन होंगे।



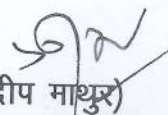
(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/18086-91

दिनांक :- 18.11.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. श्री ..... क० लेखाकार, कार्यालय .....



(प्रदीप माथुर)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)